5-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 427/2018

1 भजनाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1. धापी पुत्री स्व. नानूराम पत्नी निराणाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. पारी उर्फ पार्वती पुत्री स्व. नानूराम पत्नी लेखराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. वेद प्रकाश पुत्र इमरती पत्नी पूर्णराम पुत्री स्व. नानूराम जाति मेघवाल निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।
4. जगदीश पुत्र इमरती पत्नी पूर्णराम पुत्री स्व. नानुराम जाति मेघवाल निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।
5. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. विद्या देवी पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. ताराचन्द पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. संदीप पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. सुमित्रा पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ । – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री देवदत्त भीडासरा अधिवक्ता	वादी
2.	श्री मदनलाल मूण्ड अधिवक्ता	प्रतिवादीगण 1 ता 10
3.	राज पैरोकार	प्रतिवादी संख्या 11

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 05.08.2019

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि स्व. नानुराम के कुल पांच वारिस है जिनमें पत्नी सदी देवी एवं पुत्री इमरती देवी का देहान्त हो चुका है सदी देवी के वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है और इमरती के वारिस प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है।

स्व. नानूराम के नाम चक 11 एम.डी. में 2.125 हैक्टर भूमि स्वयं के नाम से चक 14, के.एस.पी. में 0.506 हैक्टर भूमि स्व. नानूराम व प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है स्व. नानूराम का उक्त भूमि में 0.253 हैक्टर हिस्सा है। दोनो चको की कुल तादादी 2.631 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला नकल जमावन्दी सलंग्न वादपत्र है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता के स्व. नानूराम व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाना के नाम से दर्ज है। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 नानूराम के वारिस है जो बतौर वारिस भूमि के हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की बहने है वे वादी से पूर्ण स्नेह रखती है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को

लगातार 2

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

शादी, भात आदि सभी कार्य निष्पादित कर दिये गये। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी के भानजे है वे भी अपने मामा से पूर्ण स्नेह रखते है। इसी स्नेहवश प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपना वादग्रस्त सम्पति में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते प्रतिवादी संख्या 1 व वाद वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 11.09.2017 द्वारा वादी भजनाराम के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया है प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा वाद ग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा मौखिक रूप से अपने मामा भजनाराम के पक्ष में त्याग कर दिया गया है इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि का बतौर वारिस अकेला खातेदार काश्तकार है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद है। वर्तमान मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता स्व. नानूराम के नाम से दर्ज है। नानूराम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी 1 ता 4 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष मे तर्क कर दिया है। इसलिए स्व. नानूराम की भूमि का वादी अकेला खातेदार है व इस आशय की घोषणा करवाने का हकदार है कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित स्वर्गीय नानूराम की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क करने के कारण वादी स्वर्गीय नानूराम की भूमि का खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि के चक 14 के.एस.पी. की 0.506 हैक्टर भूमि में स्व. नानूराम का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.253 हैक्टर हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के मध्य आपसी सहमति से खाता विभाजन हो चुका है विभाजन अनुसार वादी के कब्जा काश्त में चक 14 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 149/329 मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 24 की .253 हैक्टर भूमि कब्जा काश्त में है इसलिए वादी उक्त संयुक्त खाता की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन करवाकर रकम राज अलग–अलग कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह मुताबिक हक व हिस्सा घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज करवा ले व खाता अलग–अलग कायम करवा ले पहले तो वे टालमटोल करते रहे आखिर दिनांक 01.11.2018 को मुकाम मुण्डा में कतई इन्कार हो गये। वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर भीतर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। लिहाजा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि में से चक 11 एम. डी. की 2.125 हैक्टर व चक 14 के.एस.पी. की कुल भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.253 हैक्टर दोनो चकों में कुल 2.631 हैक्टर भूमि में खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया जावे।

(ख) चक 11 एम.डी. के संयुक्त खाता कि भूमि में से मुताबिक घरा घरू विभाजन वादी के कब्जा काश्त की भूमि चक 14 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 145/326 (5) किला 24 की 0.253 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग–अलग कायम किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो नजदीक अदालत हाजा हो तो श्रीमान न्यायालय द्वारा वादी को दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 26.12.2018 को तथा वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 दिनांक 24.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्ष वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता एव प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाना स्व. नानूराम पुत्र सेउराम के नाम से चक 11 एम.डी. में 2.125 हैक्टर व चक 14 के.एस.पी. में सयुक्त खाता में स्व. नानूराम के हिस्सा में 0.253 हैक्टर कुल 2.378 हैक्टर भूमि दर्ज है। उक्त भूमि में प्रथम पक्ष वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वितीय पक्ष प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वितीय पक्ष दोनो का 1/4 हिस्सा है।

द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 11.9.2017 के द्वारा वादी प्रथम पक्ष के हक में तर्क कर दिया था। व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 कि माता ने अपने पिता स्व. नानुराम कि मृत्यू दिनाक 11.11.1995 को अपने भाई वादी भजनाराम के पक्ष में मौखिक रूप से वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा तर्क कर दिया था।

मिकर प्रथम पक्ष वादी भजनलाल एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में भाई बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी की बहन के लड़के है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पूर्व में ही अपना हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर चुके है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य राजीनामा हो चुका है वादग्रस्त भूमि अब भी स्व. नानूराम के नाम से दर्ज मुताबिक राजीनामा वादपत्र में वर्णित भूमि 2.378 हैक्टर का वादी भजनलाल खातेदार काश्तकार है, व उक्त भूमि वादी के ही कब्जा काश्त में है यदि वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तो हम मिकरान को कोई आपत्ति नहीं है। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करवाना चाहते है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद में वर्णित भूमि चक 11 एम.डी. में 2.125 व चक 14 के.एस.पी. में 0.253 हैक्टर कुल 2.378 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि मिकर प्रथम पक्ष वादी व द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के नाम से चक 14 के. एस.पी. के पत्थर नम्बर 145/326 मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 24/0.253, 25/.253 कुल 0.506 हैक्टर भूम मिकर प्रथम पक्ष के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के नाम से राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है।

प्रथम पक्ष वादी भजनाराम के पिता नानु पुत्र शिवला का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा व द्वितिय पक्ष प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। नानुराम का देहान्त हो चुका है उसके हिस्सा का हकदार वादी भजनाराम है। मिकरान प्रथम पक्ष व द्वितिय पक्ष के मध्य संयुक्त खाता के विभाजन बाबत् राजीनामा हो गया है। प्रथम पक्ष के मुताबिक राजीनामा के विभाजन में चक 14 के.एस.पी. के प.न. 145/326 मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टर भुमि व द्वितीय पक्ष को चक नम्बर 14 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 145/326 मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 25 की 0.253 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार भुमि पर काबिज है व मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करवाना चाहते है।

लगातार 4

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाकर वाद में वर्णित भूमि चक 14 के.एस.पी. मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टर भूमि वादी भजनराम प्रथम पक्ष को व चक 14 के.एस.पी. मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 25 की 0.253 हैक्टर भूमि द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के मध्य खाता विभाजन किया जावे।

राज पैरोकार द्वारा स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि स्व. नानुराम के नाम तहसील हनुमानगढ के स्व. नानूराम के नाम चक 11 एम.डी. में 2.125 हैक्टर भूमि तथा चक 14, के.एस.पी. में 0.506

लगातार 5

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(7)

हैक्टर भूमि स्व. नानूराम व प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है स्व. नानूराम का उक्त भूमि में 0.253 हैक्टर हिस्सा है। दोनो चको की कुल तादादी 2.631 हैक्टर भूमि में स्व. नानुराम के वारिसान का हिस्सा होनें से नानूराम के वारिसान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित स्व. नानूराम के नाम चक 11 एम.डी. के खाता संख्या 34/28 की 2.125 हैक्टर भूमि तथा चक 14, के.एस.पी. के खाता संख्या 49/95 के पत्थर नम्बर 145/326 (57) के किला नम्बर 24/.253 में स्व. नानूराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके पुत्र वादी भजनाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–427/2018

1 भजनाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1. धापी पुत्री स्व. नानूराम पत्नी निराणाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. पारी उर्फ पार्वती पुत्री स्व. नानूराम पत्नी लेखराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. वेद प्रकाश पुत्र इमरती पत्नी पूर्णराम पुत्री स्व. नानूराम जाति मेघवाल निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।
4. जगदीश पुत्र इमरती पत्नी पूर्णराम पुत्री स्व. नानुराम जाति मेघवाल निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।
5. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. विद्या देवी पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. ताराचन्द पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. संदीप पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. सुमित्रा पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ । – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 05.08.2019

वादी की और से श्री देवदत भीडासरा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की और से श्री मदनलाल मूण्ड तथा प्रतिवादी संख्या 11 की और से राजपैराकार इस वाद में आज दिनांक 21.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित स्व. नानूराम के नाम चक 11 एम.डी. के खाता संख्या 34/28 की 2.125 हैक्टर भूमि तथा चक 14, के.एस.पी. के खाता संख्या 49/95 के पत्थर नम्बर 145/326 (57) के किला नम्बर 24/.253 में स्व. नानूराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके पुत्र वादी भजनाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 10:44:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: